

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 808/239/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 3-8-09

// आदेश //

विषय:- राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन।
संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ-7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार राजनीति शास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन किया जाता है:-

विषय - राजनीति शास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	1510192	श्री हरिनारायण सिंह	शा. विवेकानंद महाविद्यालय मैहर	22.07.2005
02	1510285	डॉ० लोकेश कुमार प्रसाद	शा. कन्या महाविद्यालय मुरैना	01.04.2008
03	1510308	डॉ० मंजू शर्मा	शा. महाविद्यालय भेल भोपाल	24.12.2007
04	1510508	डॉ० संजू गांधी	शा. पी.जी. महाविद्यालय झाबुआ	24.12.2007
05	1510552	डॉ० सुधा श्रीवास्तव	शा. एम.एल.बी. महाविद्यालय ग्वालियर	26.12.2007
06	1510561	श्रीमती स्नेहलता मुझाल्दा	शा. कन्या महाविद्यालय बडवानी	30.09.2004
07	1510614	डॉ० उषा त्रिपाठी	शा. महाविद्यालय निवाडी	24.12.2007
08	1510594	डॉ० सुषमा निगम	शा. पी.जी. महाविद्यालय सीहोर	24.12.2007
09	1510640	श्रीमती विजयलक्ष्मी पाण्डे	शा. महाविद्यालय गुढ (रीवा)	18.06.2000
10	1510108	सुश्री भुवनेश्वरी स्वामी	शा. पी.जी. महाविद्यालय सीहोर	24.12.2008
11	1510097	श्रीमती भगवती कैथवास	शा. महाविद्यालय मुलताई	04.03.2000

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

Ashwin
3.8.2009

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।
- 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashtam
3.8.2013

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

3.8.09

पृ.क. 809 /239/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashtam
3.8.2013

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 810 / 239 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3-8-09

// आदेश //

विषय:- राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

शासन के आदेशानुसार राजनीति शास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - राजनीति शास्त्र

स.क्र.	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	1510195	श्री हरीश मिमरोट शा. कला एवं वाणिज्य महा., इंदौर	24.02.2008	08.06.2006
02	1510513	डॉ० सरिता कोल्हेकर शा. पीजी महा., बालाघाट	01.03.2006	25.10.2004
03	1510530	श्रीमती सीमा शर्मा शा. नूतन कन्या महा. किला भवन इंदौर	14.03.2007	30.06.2004
04	1510136	श्री डी.आर.साकले, शा. महा., अंजड (बडवानी)	24.02.2008	18.10.2004
05	1510148	डॉ० देवी सिंह यादव शा. पीजी महा., टीकमगढ	19.11.2005	01.04.2005
06	1510301	डॉ० ममता चन्द्रशेखर शा. नूतन कन्या महा. किला भवन इंदौर	24.02.2008	05.02.2008
07	1510250	डॉ० कविता सिंह शा. सरोजनी नायडू कन्या महा. भोपाल	01.10.2005	18.10.2004
08	1510348	श्रीमती नीता चौबे शा. नर्मदा पी.जी. महा. होशंगाबाद	12.09.2006	06.05.2006
09	1510416	श्रीमती राधा अग्रवाल शा. एम.के.बी. महा. महिला जबलपुर	30.10.2005	27.07.1998
10	1510443	श्री रमेश भारद्वाज शा. पी.जी. महा. श्योपुर	22.03.2005	15.07.2004
11	1510039	डॉ० अभिताम पांडे शा. महा. जैतवारा	28.11.2005	18.10.2004
12	1510455	डॉ० रत्नेश किशोर वर्मा शा. तिलक महा. कटनी	28.11.2005	13.05.2004
13	1510488	श्री संकटा प्रसाद शुक्ला शा. टी.आर.एस. महा. रीवा	29.11.2006	20.04.2006
14	1510084	डॉ. अर्चना श्रीवास्तव शा. सरोजनी नायडू कन्या महा. भोपाल	29.11.2005	19.07.2004

Behar

//2//

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

- 1-जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी ।
 - 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।
 - 3-यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।
- उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashish
3.8.2009

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक
3.8.09

पृ.क. 811 /239/आउशि/गो.प्र./09.
प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashish
3.8.2009

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 812 / 239 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

// आदेश //

विषय:- राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार राजनीति शास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 3000-5000 / 10000-15200 में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - राजनीति शास्त्र

स.क्र.	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	1510327	डॉ० मुकेश कुमार, शा. कन्या पी.जी. महा., मुरार	27.06.1999	01.08.1999
02	1510136	श्री डी.आर.साकले, शा. महा. अजंड (बडवानी)	08.06.2001	18.10.1999

Atkin
3.8.2009

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashir V
3.8.2003

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 813 /239/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक
3.8.03

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashir V
3.8.2003

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश